राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)

टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल– dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

कमांकः एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी.–वि. राय/15/123 दिनांक : 22.03.2016

–:आदेश:–

विषयः– नगरीय क्षैत्रों में Greem Cover में वृद्धि तथा आमजन हेतु पार्क/खुले स्थल विकसित किये जाने बाबत्।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार अटल मिशन फॉर रिज्यूवनेशन एण्ड अरबन ट्रान्सफोरमेशन (AMRUT) योजना के तहत् लागु किये जाने वाले Urban Reforms के बिन्दु संख्या 4.0 के तहत् 4.2, 4.3 एवं 4.4 के क्रियान्वयन हेतु समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार Action Point क्रियान्वयन किये जाने बाबत् निर्देशित किया जाता हैं।

S. N.	Action Point	Steps	Action Plan
1.	4.2	Make action plan to progressively increase Green cover in cities to 15% in 5 years.	• प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा नगरीय क्षैत्र में स्थित पार्क को विकसित किया जावे एवं पार्कों एवं खुले स्थलों पर जन सहयोग से सघन वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित किया जावें। मास्टर प्लान में प्रस्तावित पार्क/खुले स्थल हेतु आरक्षित भूमि को चिन्हित कर पीपीपी मॉडल अथवा अन्य उपयुक्त साधनों से विकसित किया जावें एवं इनमें सघन वृक्षारोपण किया जावें। • नगरीय क्षैत्रों में स्थित प्रमुख सड़कों के सहारे–सहारे एवं मध्य (Median) में सघन वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित किया जावें। • नगरीय क्षैत्र में स्थित निजी आवासीय योजनाओं में भवन विनियम की तालिका संख्या 1, तालिका संख्या 1 (अ), तालिका संख्या 2, तालिका संख्या 3, तालिका संख्या 5 की टिप्पणी के प्रावधान संख्या क्रमशः viii, vi, xi, 8 एवं 7 के तहत् प्रत्येंक भू–स्वामी को वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु प्रोत्साहित किये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। इस सम्बन्ध में महापौर/अध्यक्ष/सभापति एवं पार्षदगणों के सहयोग से Resident Welfax Associations (RWAS) का सहयोग भी लिया जावें। • नगरीय क्षैत्र में स्थित राजकीय कार्यालयों/भवनों में भी वृक्षारोपण हेतु सम्बन्धित विभागों को सहयोग किया जावें। • नगरीय सीमा में स्थित नदी/नालों/वाटर बॉडीज के सहारे–सहारे सघन वृक्षारोपण किया जावें, साथ ही नगर में स्थित शमशान/कब्रिस्तान आदि में वृक्षारोपण किया जावें।

2.	4.3	Develop at least one Children Park every year in the AMRUT cities.	• नगरीय क्षेत्र में स्थित शहर के प्रमुख पार्क को सैन्ट्रल पार्क के रूप में विकसित किया जावें तथा सैन्ट्रल पार्क में बच्चों एंव वरिष्ठ नागरिकों हेतु समुचित सुविधाऐं विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जावें। • नगरीय क्षेत्र में स्थित योजनाओं में उपलब्ध पार्कों को सुचिबद्ध किया जावे तथा प्रत्येक योजना में प्रति वर्ष कम से कम एक पार्क बच्चों एंव वरिष्ठ नागरिको हेतु आवश्यक सुविधा युक्त रूप से विकसित किया जावें।
3.	4.4	Establish a system for maintaining of parks, playground and recreational areas relying on People Public Private Partnership (PPPP) model.	• राज्य सरकार द्वारा पार्कों को जन सहभागिता से विकसित किये जाने हेतु समय–समय पर जारी निर्देशों के तहत् पार्क, खेल एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं के रख–रखाव हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किया जावें।

उपरोक्त Action Plan अनुसार प्रत्येंक नगरीय निकाय द्वारा Quartely Progress Report निदेशालय को प्रषित किया जाना सुनिश्चित किया जावें। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव

क्रमांकः एफ.59/एसटीपी/डीएलबी/सा.स्पष्टी.–वि. राय/15/ 12470132 दिनांक : 22.03.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/ भरतपुर।
5. क्षैत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
6. आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
8. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

21/03/2016
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक

Programmer
22/3/2016

F:\R.K. VIJAYVARGIA (STP)\Letters\STP General Letter.docx